बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय :– समादेश याचिका संख्या–10901/2006 मो0 क्यूमुद्दीन अंसारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–03.08.11 को माननीय पटना उच्च न्यायालय के पारित न्यायादेश का अनुपालन करने हेतु वादीगण को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मुहैया कराने के संबंध में।

विज्ञापन संख्या–2/2002 के अन्तर्गत राज्य के 41 औषधि निरीक्षकों, जिनकी नियुक्ति दिनांक–01.09.05 के पूर्व हुई थी, को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.05 के आलोक में उक्त विज्ञापन संख्या–02/2000 के अन्तर्गत राज्य के निम्नांकित औषधि निरीक्षकों, जिनकी नियुक्ति उक्त पद पर दिनांक–01.09.05 के बाद हुई थी, को नई पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। निम्नांकित वादीगण के द्वारा समादेश याचिका संख्या–10901/2006 दायर किया गया :–

(i) मो0 क्यूमुद्दीन अंसारी (ii) श्रीमती कृष्णा कुमारी (iii) श्री अरूण कुमार (iv) श्रीमती सीमा कुमारी (v) श्री शशि भूषण कुमार सिन्हा (vi) श्रीमती किरण कुमारी (vii) श्री सतीश कुमार (viii) श्री सुरेन्द्र राम (ix) श्री जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

उक्त वाद में दिनांक–03.08.11 को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त वादीगण को उक्त विज्ञापन संख्या–2/2000 के आलोक पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का न्यायादेश पारित किया गया ।

उक्त न्यायादेश के विरूद्ध स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा एल0पी0ए0 संख्या– 589/03 दायर किया गया जिसे दिनांक–26.11.13 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । उस न्यायादेश के विरूद्ध एस0 एल0 पी0 दायर करने हेतु विद्वान महाधिवक्ता, बिहार ने अपनी सहमति नहीं दी थी।

उक्त न्यायालीय आदेश के अनुपालन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना से परामर्श माँगा गया। वित्त विभाग ने परामर्श दिया कि विभागीय संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.05 में निहित प्रावधानों को शिथिल कर याचिकाकर्त्ताओं को पुरानी पेंशन योजना प्रदान किये जाने के निमित मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त किया जाय।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.05 की कंडिका–3 में यह प्रावधान है कि वैसे सरकारी सेवकों के मामले में लागू होगे, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन दिनांक–01.09.05 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामले में वर्त्तमान से लागू सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान लागू नहीं होंगें अर्थात् सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की कटौती नहीं की जाएगी।

तदनुसार उपर्युक्त न्यायादेश के अनुपालनार्थ वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.05 की कंडिका–3 एवं कंडिका–6 में उल्लिखित प्रावधानों को उपर्युक्त वर्णित औषधि निरीक्षकों के मामले में शिथिल एवं क्षांत करते हुए वादीगण 9 औषधि निरीक्षकों को सामान्य भविष्य

कृ0प0उ0

A.L.149

निधि लेखा आवंटित करने के निमित मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुए यह संकल्प निर्गत किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–../स्वा0, पटना, दिनांक–..
प्रतिलिपि :–उप सचिव/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–../स्वा0, पटना, दिनांक–..
प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–../स्वा0, पटना, दिनांक–..
प्रतिलिपि :–वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–../स्वा0, पटना, दिनांक–..
प्रतिलिपि :–सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी क्षेत्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/राज्य औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना /सभी सिविल सर्जन, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......680(15)....../**स्वा0, पटना, दिनांक–**.......5/10/15.......
प्रतिलिपिः–संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, पंत भवन, बिहार, पटना/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–समादेश याचिका संख्या–10901/2006 में वर्णित वादीगण को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।